# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व वाद सख्या–46/2017

1. पदमसिह
2. पन्नासिंह — वयस्क पिसरान स्व0 श्रीहीरासिंह
3. जोधसिंह
4. श्रीमति फूलीदेवी वयस्क पत्नि स्व0 सुवा उर्फ सवाईसिंह पुत्र हीरासिंह
5. हुक्मसिंह वयस्क पुत्र स्व0 सुवा उर्फ सवाईसिंह पुत्र हीरासिंह
6. श्रीमति जसोदा वयस्क पुत्री स्व0 सुवा उर्फ सवाईसिंह पुत्र हीरासिंह
समस्त जाति रावतान निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर।

..........वादीगण

**बनाम**

1. श्रीमति मोहनी वयस्क पत्नि स्व0 प्रेमसिंह पुत्र स्व0 हीरासिंह
2. नरेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र स्व0 प्रेमसिंह पुत्र स्व0 हीरासिंह
3. महेन्द्रसिह वयस्क पुत्र प्रेमसिह पुत्र स्व0 हीरासिह
4. श्रीमति ललिता वयस्क पुत्री स्व0 प्रेमसिंह पुत्र स्व0 हीरासिह
5. श्रीमति शारदा पुत्री स्व0 प्रेमसिह पुत्र स्व0 हीरासिह
समस्त जाति रावतान निवासीगण ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा
7. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी मसूदा जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

.........प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम पीपलाज तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 1588 रक्बा 06 बिस्वा तथा 2183/1573 रक्बा 9–04 बीघा किता 2 रक्बा 9–10–00 बीघा तथा ख0 न0 1575 रक्बा 01 बीघा व 2185/1587 रक्बा 09 बिस्वा कुल किता 2 रक्बा 1–09–00 बीघा जिन्हे वाद पत्र में क्रमशः पद संख्या 1 (क) एवं 1 (ख) से संबोधित किया गया है में वादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 से 6 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदारी में चला आता है इसी प्रकार ख0 न0 2187/1589 रक्बा 2–02–00 जिसे पद संख्या 1 में 'ग' नाम से तथा ख0 न0 1574 रक्बा 5–03–00 व 2189/1572 रक्बा 2–18–00 किता 2 रक्बा 8–01–00 बीघा जिसे पद संख्या 1 में 'ध' से संबोधित किया गया है इनमें वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 4 से 6 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादिया संख्या 1 का 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से सहखातेदार में चला आता है। इन सभी भूमियों के अविभाजित होने से पक्षकारान में कभी बेशी भूमियों को लेकर विवाद होता रहता है अतः जरिये माप एवं सीमांकन बटंवारा करवा कर हिस्सेनुसार पक्षकारान को इन भूमियों में खातेदार घोषित किया जावे तथा परस्पर हिस्से की भूमियों में दखलंदाजी से प्रतिवादीगण को निषेध किया जावे।

वाद के विचाराधीन चलते प्रकरण पक्षकारान की उपस्थिति में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम लोक अदालत केम्प पीपलाज प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 असालतन वकालतन उपस्थित आये और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की और से मौखिक अन्डर टेकिंग देते हुए राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के वाद को स्वीकार कर इसी अनुसार बटंवारा कर दिया जावे। राजीनामा पक्षकारान स्वीकार कर अभिलेख पर लिया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान को सुना उभयपक्षान राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्से अनुसार बटवारा कर दिये जाने में सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार करते हुए ग्राम पीपलाज स्थित आराजी ख0 न0 1588 रक्बा 06 बिस्वा तथा 2183/1573 रक्बा 09–04–00 बीघा एवं ख0 न0 1575 रक्बा 01 बीघा तथा ख0 न0 2185/1587 रक्बा 0–09–00 बिस्वा कुल किता 4 रक्बा 10–19–00 बीघा में वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को बहिस्से बराबर 1/3 –1/3 हिस्से का तथा वादी संख्या 4 से 6 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ख0 न0 2187/1589 रक्बा 2–02–00 बीघा व 1574 रक्बा 5–03–00 बीघा तथा 2189/1572 रक्बा 2–18–00 बीघा में कुल किता 3 रक्बा 10–03–00 बीघा में वादीगण 1 से 3 प्रत्येक को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है और प्रकरण में प्रारंम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार मसूदा विवादित आराजी में पक्षकारान के हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमियों का पक्षकारान में मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन बटवारा कर बटवारा प्रस्ताव अलग अलग रोशनाई से नक्शे ट्रेस में दर्शाते हूए मय पृथक पृथक लगान के आगामी तारीख तथा प्रस्तुत करावे। प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की आराजी में दखंलदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 15:36:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: